प्रेषक,   संख्या– 129/15–05–2020–1600(169)/2020

आराधना शुक्ला,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक माध्यमिक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–05   **लखनऊः दिनांक 27 जनवरी, 2020**

विषयः–अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधान एवं अध्यापकों के ऑनलाईन स्थानान्तरण किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांकःसामान्य(1)प्रथम/5838/2019–20 दिनांक 14.01.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधान एवं अध्यापकों के ऑनलाईन स्थानान्तरण किये जाने के संबंध में निम्नवत बिन्दु/मानक निर्धरित किये जाते हैः–

(1) वर्ष 2020–21 में अशासकीय सहायता प्राप्त हाईस्कूल एवं इण्टर कालेजों में कार्यरत प्रधान एवं अध्यापकों का स्थानान्तरण ''आनलाइन स्थानान्तरण प्रणाली'' से किया जायेगा।

(2) स्थानान्तरण हेतु इच्छुक प्रधान एवं अध्यापक आनलाइन स्थानान्तरण प्रणाली के माध्यम से अपने वांछित जनपद के विद्यालय में आवेदन कर सकेंगे।

(3) स्थानान्तरण के लिए निम्नलिखित 04 श्रेणी के प्रधान/अध्यापकों को उनके अनुरोधानुसार स्थानान्तरण हेतु वरीयता क्रम में उनके अनुरोध पर स्थानान्तरण किया जायेगाः–

(i) प्रधान/अध्यापक जिनके पति/पत्नी भारतीय सेना/वायु सेना/नौ सेना/केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल–सी0आर0पी0एफ0, आई0टी0बी0पी0 अथवा बी0एस0एफ0,जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों/सीमा पर तैनात हो (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र अनिवार्य होगा)।

(ii) स्वयं कैंसर/एच0आई0बी0 (एड्स)/ किडनी/ लीवर में गम्भीर रोग से ग्रसित प्रधान/अध्यापक द्वारा किसी प्रतिष्ठित चिकित्सालय जैसे एम्स, पी0जी0आई0, राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अथवा चिकित्सा बोर्ड द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर।

Scanned by CamScanner

(iii) प्रधान/अध्यापक जिनकी आयु स्थानान्तरण वर्ष के 31 मार्च को 58 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो।

(iv) यदि पति/पत्नी, दोनों सरकारी सेवा/अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में अलग–अलग जनपद में तैनात हों, को एक जनपद में तैनाती हेतु।

(4) जनपदवार/विद्यालयवार/विषयवार/आरक्षणवार रिक्त पदों का विवरण वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा।

(5) स्थानान्तरण हेतु इच्छुक प्रधान/अध्यापक प्रदर्शित रिक्तियों में से वरीयता के क्रम में 05 रिक्त स्थानों का चयन कर सकते हैं।

(6) स्थानान्तरण हेतु इच्छुक प्रधान/अध्यापक की विशेष परिस्थितियों को परिशिष्ट ''अ'' में उल्लिखित श्रेणी में आने पर निर्धारित मानक एवं गुणांक के आधार पर उनका वरीयता क्रम तैयार किया जायेगा।

(7) स्थानान्तरण हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों में से निर्धारित मानक एवं गुणांक के आधार पर अधिक गुणांक प्राप्त करने वाले प्रधान/अध्यापकों का स्थानान्तरण किया जायेगा।

(8) एक से अधिक आवेदकों का गुणांक समान होने पर अधिकतम् आयु वाले को वरीयता दी जायेगी। यदि आयु समान है तो अधिक सेवा कर चुके व्यक्ति को वरीयता दी जायेगी।

(9) स्थानान्तरण हेतु अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) सक्षम अधिकारी होंगे।

(10) स्थानान्तरण हेतु इच्छुक प्रधान/अध्यापक 15 जनवरी से 31 जनवरी तक आनलाइन आवेदन कर सकेंगे। (वर्तमान शैक्षिक सत्र में आनलाइन आवेदन 1 मार्च से 15 मार्च तक किये जा सकेगें।)

(11) प्रदेश के 08 महत्वाकांक्षी जनपद (सोनभद्र, चन्दौली, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर फतेहपुर, चित्रकूट, सिद्धार्थनगर) से किसी भी प्रधान/अध्यापक को अन्य जनपद में सामान्यतया स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा।

(12) अध्यापक द्वारा जिस विषय के पद के प्रति स्थानान्तरण हेतु आवेदन किया गया है वह पद उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अथवा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयेाग द्वारा विज्ञापित नही होना चाहिए किन्तु अधियाचित हो सकता है।

(13) जिस पद के प्रति स्थानान्तरण हेतु आवेदन किया गया है वह स्थायी, निर्धारित जनशक्ति के अनुरूप एवं रिक्त होना चाहिए तथा उस विषय में छात्र शिक्षक अनुपात के अनुरूप छात्र संख्या हो।

(14) जिस विद्यालय से स्थानान्तरित होना है, वहॉ पर उस विषय का अतिरिक्त अध्यापक उपलब्ध होना चाहिए अर्थात स्थानान्तरण के फलस्वरूप उस विद्यालय में सम्बन्धित विषय के अध्यापक का पद रिक्त नही होना चाहिए।

(15) संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के पारस्परिक स्थानांतरण को वरीयता दी जायेगी।

Scanned by CamScanner

(16) विशेष परिस्थितियों में ऑफलाईन स्थानान्तरण करने का अधिकार शासन में निहित होगा।

अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधान/अध्यापक के स्थानान्तरण हेतु मानक/गुणांक

क्र0सं0	मुख्य मानक	गुणांक
1	प्रधान/अध्यापक जिनके पति/पत्नी भारतीय सेना/वायु सेना/नौ सेना/ केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल–सी0आर0पी0एफ0, आई0टी0बी0पी0 अथवा बी0एस0एफ0, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों/सीमा पर तैनात हो (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र अनिवार्य होगा)।	100
2	स्वयं कैंसर/एच0आई0बी0 (एड्स)/ किडनी/ लीवर में गम्भीर रोग से ग्रसित प्रधान/अध्यापक द्वारा किसी प्रतिष्ठित चिकित्सालय जैसे एम्स, पी0जी0आई0, राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अथवा चिकित्सा बोर्ड द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर।	100
3	प्रधान/अध्यापक जिनकी आयु स्थानान्तरण वर्ष के 31 मार्च को 58 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो।	100
4	यदि पति/पत्नी, दोनों सरकारी सेवा/अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में अलग–अलग जनपद में तैनात हों, को एक जनपद में तैनाती हेतु।	100
	सहायक मानक	
1	जो स्वयं दिव्यांग की श्रेणी में हों। (सक्षम अधिकारी से चिकित्सीय प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा)	40% t0 60%=10 60% t0 80%=15 Above 80%=20
2	जिनकी पत्नी/पति/बच्चे किसी दुर्घटना में शारीरिक रूप से अपंग/दिव्यांग हैं या कैंसर/ एच0आई0वी0(एड्स) / किडनी/लीवर गम्भीर रोग ग्रसित प्रधान/अध्यापक द्वारा किसी प्रतिष्ठित चिकित्सालय जैसे एम्स, पी0जी0आई0, राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अथवा चिकित्सा बोर्ड द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र निर्गत करने पर।	10
3	राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त प्रधान/अध्यापक	10
4	ऐसी महिला प्रधान/अध्यापिका जो विधवा/तलाकशुदा है (प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर)	10

Scanned by CamScanner

5	ऐसे पुरूष प्रधान/अध्यापक जो विधुर हैं और उन्होने पुनः विवाह नहीं किया है तथा जिन्हे अवयस्क आश्रित बच्चों की देख–भाल करनी हो(प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर)	10
6	महिला (प्रधान/अध्यापिका)	10
7	प्रथम नियुक्ति की तिथि से 10 वर्ष के उपरान्त प्रत्येक वर्ष की सेवा पर एक अंक (अधिकतम 20 अंक)	10
8	अध्यापक जो विषय पढ़ाता है, उस विषय के गतवर्ष का परीक्षाफल 80 प्रतिशत से अधिक होने पर	10
9	अध्यापक जो विषय पढ़ाता है, उस विषय के गतवर्ष का परीक्षाफल 80 से 60 प्रतिशत के मध्य होने पर	05

3– अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधान/अध्यापकों के ऑनलाइन स्थानान्तरण एन0आई0सी0 के माध्यम से करवाने का कष्ट करे।

भवदीय,

27-05-2020

(आराधना शुक्ला)
प्रमुख सचिव।

संख्या–129/15–5–2020, तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1.– निजी सचिव, प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2– निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, मा0 माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी, उत्तर प्रदेश।
3– निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।
4– स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
5– निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश।
6– समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7– अपर शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
8– समस्त संयुक्त शिक्षा निदेशक, माध्यमिक उत्तर प्रदेश।
9– समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
10– समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11– माध्यमिक शिक्षा विभाग के समस्त अनुभाग।
12– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(अतुल कुमार मिश्र)
अनु सचिव

Scanned by CamScanner

	पर)	
6	महिला (प्रधान/अध्यापिका)	10
7	प्रथम नियुक्ति की तिथि से 10 वर्ष के उपरान्त प्रत्येक वर्ष की सेवा पर एक अंक (अधिकतम 20 अंक)	10
8	अध्यापक जो विषय पढ़ाता है, उस विषय के गतवर्ष का परीक्षाफल 80 प्रतिशत से अधिक होने पर	10
9	अध्यापक जो विषय पढ़ाता है, उस विषय के गतवर्ष का परीक्षाफल 80 से 60 प्रतिशत के मध्य होने पर	05

3— अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधान/अध्यापकों के ऑनलाइन स्थानान्तरण एन0आई0सी0 के माध्यम से करवाने का कष्ट करे।

भवदीय,

(आराधना शुक्ला)
प्रमुख सचिव।

संख्या—129/15—5—2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1.— निजी सचिव, प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2— निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, मा0 माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी, उत्तर प्रदेश।
3— निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।
4— स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
5— निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश।
6— समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7— अपर शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
8— समस्त संयुक्त शिक्षा निदेशक, माध्यमिक उत्तर प्रदेश।
9— समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
10— समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11— माध्यमिक शिक्षा विभाग के समस्त अनुभाग।
12— गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(अतुल कुमार मिश्र)
अनु सचिव

Scanned by CamScanner